तारीख	प्रकरण संख्या 27/2018 जीसीएमएस नम्बर 2018/00376 अनवान दीपाराम बनाम मोती व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 अनुपस्थित। वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 3, 4 तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बार बार आवाजे लगवाई जाने के उपरान्त भी न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अपीलाण्ट की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। वकील रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि जैर आराजी से सम्बन्धित अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी से पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 की पालना में ग्राम पंचायत के नामान्तरकरण को निरस्त कर स्वीकृत किया गया, जिसकी अपील सम्भागीय आयुक्त में पोषणीय है, न्यायालय हाजा में नहीं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किये जाते है, उसकी अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। वकील अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को खण्डन करते हुये निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का नामान्तरकरण खारिज कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया और उसी आदेश की पालना में तहसीलदार ने अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया। जैर अपील तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी वाद में पेश किया जाता है जबकि हस्तगत प्रकरण दावा न होकर एक अपील है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट के बिना किसी विधिक तथ्य के उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसे खारिज फरमावे। वकील अपीलाण्ट की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 34/2018 भाणकी बनाम दीपाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध पेश की है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 07 नियम 11 वादपत्र का नांमजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्याकंन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायायल द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है (घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है (ड.) जहां वह दो प्रतियों में फाइल नहीं की जाती। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी वाद पत्र में प्रभावी होते है परन्तु हस्तगत प्रकरण वाद न होकर एक अपील है	

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तारीख	प्रकरण संख्या 27/2018 जीसीएमएस नम्बर 2018/00376 अनवान दीपाराम बनाम मोती व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इसलिये अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी हस्तगत अपील में सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों अनुसार लागू नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 30/14 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 की पालना में भरा गया था तथा निर्णय दिनांक 26.05.2015 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि जोधा पुत्र डूंगा के विधिक वारिसान की नये सिरे जांच कर साक्ष्य एकत्रित कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करे, जिसकी पालना में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा सम्बन्धित को नोटिस जारी कर, पत्रावली संधारित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है अर्थात् अपीलाण्ट ने एक विवादित प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्ध अपील पेश है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत आता है। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना F. 1(236) Rev/D/56 दिनांक 26.10.1956 के अनुसार "राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 की उपधारा 2 में संदर्भित विवादित मामलों को तय करने की भूमि रिकॉर्ड अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग तहसीलदार द्वारा भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस अधिसूचना के तहत तहसीलदार की शक्तियाँ भूमि अभिलेख अधिकारियों की शक्तियों के साथ समवर्ती हैं। उपधारा 2 के तहत तहसीलदार केवल तभी शक्तियों का प्रयोक कर सकता है जब वह 'विवाद' से निपटने के लिए अन्यथा सक्षम हो। इस अधिसूचना ने उन्हें भूमि अभिलेख अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया है"। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा केवल उन्हीं प्रकरणों को सुनने हेतु सक्षम है, जिसमें तहसीलदार द्वारा निर्विवादित प्रकरणों में पारित आदेश की पालना में नामान्तरकरण आदेश दिया हो। चूंकि हस्तगत प्रकरण में यह परिलक्षित है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार द्वारा एक विवादित प्रकरण में पारित आदेश के आधार पर पारित किया गया है। इसलिए उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जैर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट विधिक उपचारों के साथ सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली